

फर्द अहकाम

अज अदालत- उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाडा




उनवान

मुत्तल

बनाम लाल मो.

किरम धारा 59, 88 वाद/प्रा.पत्र

मु0नं0 601 / 2024

तारीख ह.म	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
30/11/24	<p>प्रकरण उपखण्ड अधिकारी बनेडा जिला शाहपुरा से संयुक्त शासन सचिव राजस्व(ग्रुप-1) विभाग राजस्थान जयपुर की अधिसूचना क्रमांक/प.9(89) राज-1/2023/तहसील सवाईपुर दिनांक 03.08.2023 से जारी अधिसूचना अनुसार तहसील बनेडा का पुनर्गठन होने से ग्राम पंचायत बबराणा/खेडलिया/महुआखुर्द को उपखण्ड भीलवाडा सम्मिलित किये जाने से इस न्यायालय में स्थानान्तरित की है, प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर उभयपक्ष को नोटिस जारी कर प्रकरण वास्ते सुनवाई हेतु दिनांक 27.11.24 को पेश</p> <p style="text-align: right;">  उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाडा </p> <p>पत्रावली पेश हुयी उभयपक्ष पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य से व्यस्त बक्स में है। पत्रावली साबिक आदेश दिनांक 27-11-24 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">  उपखण्ड अधिकारी </p>	<p>27-11-24 पत्रावली पेश हुयी खाती अधिकार लाल मो. प्रकरण में नोटिस ऑडिट किया है अतः खाती अधिकार लाल मो. नोटिस में उपरोक्त समाप्त हो जाती है प्रकरण फ़ैसल सुमाद होकर बन्द से उभर लो</p> <p style="text-align: right;">  उपखण्ड अधिकारी </p>